फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 16.11.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/2024 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 05 अभियुक्तगणो को लूटे गये 3,89,400/- रू0 तथा मु0अ0सं0 192/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित लूटे गये 01 टेक्नो मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 241/2024 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभि0गण 01. चंचल उर्फ अंशुमान पुत्र अजय उर्फ बड़े लल्ला निवासी माडल शंकरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़,02. अनुपम पुत्र श्यामबिहारी कठेरिया, 03. विजय कुमार पुत्र अनिल कुमार, 04.अक्षय कुमार पुत्र अजय कुमार निवासीगण किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़, 05. जयन्त यादव पुत्र भंवरपाल निवासी मोहल्ला गंगा नगर, रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को लूटे गये 3,89,400/- रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित लूटे गये 01 मोबाइल (टेक्नो स्पार्क) के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01.चंचल उर्फ अंशुमान पुत्र अजय उर्फ बड़े लल्ला निवासी माडल शंकरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
02.अनुपम पुत्र श्यामबिहारी कठेरिया निवासी किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
03.विजय कुमार पुत्र अनिल कुमार किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
04.अक्षय कुमार पुत्र अजय कुमार किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
05.जयन्त यादव पुत्र भंवरपाल निवासी मोहल्ला गंगा नगर, रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 13.11.24 को वादी मुकदमा अनंगपाल सिंह पुत्र स्व0 विश्राम सिंह निवासी ग्राम माडल शंकरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद से गौसरपुर तिराहा से भरतामऊ की तरफ जा रहे थे तभी गौसरपुर तिराहे से करीब 100 मीटर दूरी पर अभि0गण द्वारा वादी व उसके साथी चंचल उर्फ अंशुमान की मोटर साइकिल में टक्कर मारकर गिरा दिया तथा झोले मे रखे 3,89,400 रुपयें झोले सहित लूट ले गये। वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 241/2024 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा के साथ चंचल उर्फ अंशुमान के द्वारा अपने साथियों अनुपम, विजय कुमार, अक्षय कुमार व जयन्त यादव उपरोक्त के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार वादी मुकदमा के साथ लूट की घटना कारित किया जाना पाया गया। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभि0गण चंचल उर्फ अंशुमान तथा उसके साथी अनुपम, विजय कुमार, अक्षय कुमार व जयन्त यादव उपरोक्त को वादी से लूटे गये 3,89,400 रूपयों के साथ मुखबिर की सूचना पर नीबकरोरी की तरफ रेलवे पुराने अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4) बीएनएस का लोप कर धारा 310(2)/317(3) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा दिनाँक 09.09.2024 को वादी संजेश सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी करनपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ से 02 मोटरसाइकिलो पर सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 01 मोबाइल छीन लेने के सम्बन्ध में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 192 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जोकि प्रकाश में आये अभि0गण जयन्त, अनुपम, विजय व अक्षय के पास से बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01.मु0अ0सं0 241/24 से सम्बन्धित लूटे गये 3,89,400 रुपये।
02.मु0अ0सं0 192/24 से सम्बन्धित 01 अदद मोबाइल फोन (टेक्नो स्पार्क) ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर अभियुक्त चंचल ने बताया कि अभि0 जयन्त यादव की 28 नवम्बर को शादी होने वाली थी जिसके लिये रूपयों की जरूरत थी। जयन्त ने मुझसे शादी के लिये रूपये मांगे थे चूंकि मेरे पास भी रूपये नही थे इस कारण मैने तथा जयन्त ने मिलकर इस घटना की योजना बनाई तथा इस योजना में अपने साथी अनुपम, विजय कुमार व अक्षय को शामिल किया तथा हम पांचो ने मिलकर योजना बनाकर यह लूट की घटना कारित की थी तथा अभि0 जयन्त यादव ने बताया कि करीब दो महीने पहले मैने अनुपम, विजय व अक्षय के साथ मिलकर रोहिला अण्डरपास के पास एक लडके से एक मोबाइल फोन लूटा था जिसके कवर में तीन सौ रूपये रखे थे जिसे हम लोगों ने खर्च कर लिया था।

अभियुक्त चंचल उर्फ अंशुमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अनुपम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0192/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त विजय कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0192/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त अक्षय कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0192/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त जयन्त यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0192/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

02.मु0अ0सं0 241/2024 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल
2. उ0नि0 आंशू कुमार
3. उ0नि0 महेन्द्र सिंह
4. का0 अंशुमन चाहर
5. का0 अनीश कुमार
6. का0 अजय कुमार तेवतिया
7. का0 भूपेन्द्र सिंह

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस पुलिस टीमः-

01.उ0नि0 विशेष कुमार (सर्विलांस प्रभारी)

02.हे0का0 सचिन्द्र कुमार

03.हे0का0 अनुराग

04.हे0का0 संदीप राव

मीडिया सेल फतेहगढ़।